कटारमल का सूर्य मंदिर

अपनी बात

देव भूमि उत्तराखण्ड़ का अपना महत्व है। अध्यात्म की विलक्षण परम्पराओं को सहेजने के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन को नये आयाम देने में हिमालय ही नित नूतन रहा है, इसके वास्तविक स्वरूप को समझते ही प्राणी का स्वयं को प्रकृति से जुड़ाव आवश्यक है। यहाँ के कत्यूर –चंद राजवंश की श्रृंखला धर्म प्रिय रही है, तथा प्रत्येक ने अपनी – अपनी शिल्प कला की छाप भी रख छोड़ी है और उस शिल्प का अपना जन–जुड़ाव भी है। इसके पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा हुआ होता है। अपने धर्म, आस्था, पूजा और अर्चना को मूर्तरूप देने के लिए प्रतीक मन्त्र और गाथा है जो सम्पूर्ण भारतीयता को अतीतकाल से वर्तमान तक को समृद्ध बनाये हुए हैं। चाहे कर्मकाण्ड के बहाने से जोड़ते रहे हो या दुःख से मुक्ति पाने के अन्य मार्ग में समाधान के स्रोत के रूप में उपलब्ध होते रहे हैं। यह विवेचन प्रतीक रूप नहीं है मनुष्यता को जीवंत रखने का सहज माध्यम है किसी भी शुभ अवसर पर या किसी भी मंगल कार्य पर परिवार के लोग इन साहित्यों के मर्म का स्मरण अवश्य कर लेते हैं, मानो अपनी समृद्ध परम्परा को सजीव और साकार कर रहे हों।

यद्यपि समय के साथ धर्म और साहित्य के विषय को अब उतने विस्तार जानने की प्रवृत्ति घटती जा रही है फिर भी हमें अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रहना है। यही भारतीय होने का धर्म है क्योंकि इसके द्वारा हम अपने अस्तित्व को बनाये रख सकते हैं। साहित्य का अध्ययन न केवल ज्ञान वृद्धि के लिए संतुलित आहार है अपितु समृद्ध अतीत, वर्तमान और भविष्य को सार्थक करने का सर्वोतम साधन भी है।

अतीतकाल से सूर्य देव प्रकृति–देव आराधना के लिए पूजनीय रहे , उनके लिए सब कुछ मनुष्य कर लेता था। वर्तमान को अवगत कराना ही इस सचित्र पुस्तक का लक्ष्य है। शहरी जीवन में पले लोग अपनी संस्कृति को जान सकेंगे कि हमारा अतीत कहाँ है और हम कहाँ हैं।

इस पुस्तक के प्रकाशन का श्रेय परम आदरणीय मित्र श्री नरेश सिंह चौहान,आकाशवाणी अल्मोड़ा जी को जाता है जिन्होंने मुझे कई बार इस पुस्तक के लेखन कार्य हेतु प्रेरित किया उनकी प्रेरणा का परिणाम है कि यह पुस्तक आपके सम्मुख प्रस्तुत करने मे मैं सक्षम हो पा रहा हूँ, मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। साथ ही मै आभारी हूँ अपनी धर्मपत्नी की विदुषी डॉ0 गीता दुबे का जिन्होंने सदैव उत्साहित किया पुत्री कनिष्ठा,चयनिका के हिन्दी और संस्कृत के विद्वत्तापूर्ण शब्द और सुझाव का मै कृतज्ञ हूँ जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से मुझको गति प्रदान की।

अन्त में , प्रकाशक महोदय के बिना यह कार्य सम्भव नहीं था अतः उनका भी आभारी हूँ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाठकजन इस सचित्र लघु पुस्तिका 'कटारमल का सूर्यमंदिर' का अवश्य स्वागत करेंगे। इस प्रयास में छपाई सम्बन्धी त्रुटियां सम्भव हो सकती हैं उसके लिए क्षमा करने का कष्ट करेंगे।

सादर,वंदन

डॉ0 करुणा शंकर दुबे

ग्यारह,जुलाई 2019

कटारमल का सूर्य मन्दिर

हिमालय की गोद में बसे कूमायूं के मन्दिरों में अल्मोड़ा से सत्रह किलोमीटर दूर दो हजार एक सौ मीटर की उॅचाई पर मन्दिर समूह का अपना अलग स्थान है । मेहल के घने फलदार वनों के मध्य यह मन्दिर कूमायूं क्षेत्र में अपनी नागर स्थापत्य कला के विकास की पूरी कहानी को चिरस्थायी बनाये हुए है । हिमालय क्षेत्र में स्थित इस मन्दिर का कुछ भाग तो दर्शनीय है और कुछ खण्डहर के रुप में अतीत की स्मृतियों को संजोये हुये इतिहास के मूक गवाह का साक्षी भी है । लगभग पचास से भी अधिक मन्दिर समूहों में भगवान् लक्ष्मी नारायण,से लेकर शिव ,कार्तिकेय,गणेश आदि की मूर्तियों को भली प्रकार से यहॉ देखा जा सकता है । इन मन्दिरों में छोटे बड़े अनेक देव स्थापित हैं ,किन्तु स्थानीयता के रुप में यह मन्दिर बडादित्य के

नाम से भी जाना जाता है इसके पीछे जो जानकारी है वह इस प्रकार से है कि यहाॅ के आदित्य देव की मूर्ति बड़ वृक्ष की लकड़ी से बनी हुई है ,वस्तुतः यह मूर्ति ही सूर्य देव की मूर्ति है । इस कारण यह नाम प्रचलन में है ।

कोसी–कटारमल में स्थित सूर्य मन्दिर कत्यूर राजवंश की गौरव गाथा और अस्मिता का प्रतीक भी है । मन्दिर अपनी रचनात्मकता ,कलात्मकता की दृष्टि से उत्कृष्ट है , हांलाकि इस युग में बहुत से मन्दिर इस क्षेत्र में स्थापित हो चुके थ,जिसके लिए इस युग के मन्दिर में लोग बड़ी–बड़ी शिलाओं को काटकर उसकी नक्काशी करते थे , फिर मन्दिर निर्माण स्थल पर ले जाते थे उसके बाद एक के

उपर दूसरे को रख कर जोड़ने का काम करते थे । अल्मोड़ा के ही बैजनाथ,जागेश्वर आदि स्थानों में भी आप इसी शैली के मन्दिर को पायेंगे।

सभी जानते हैं कि सृष्टि के समस्त क्रिया–कलापों का केन्द्र सूर्य है । दिन–रात, एवं ऋतुओं के परिवर्तन में भगवान् भाष्कर की मुख्य भूमिका रहती है ,सम्पूर्ण विश्व में सूर्य के बिना जीवन में गहन अन्धकार है । ऐसे सूर्य भगवान् की मूर्ति–मन्दिर की संकल्पना विश्व के देशों के साथ भारत में काशी,उड़ीसा ही नहीं हिमालय की कोख में बसे अल्मोड़ा में भी रही है । आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब 'नागेशं दारुका वने' की अवधारणा की ,तब किसी ने नहीं सोचा था कि अल्मोड़ा जनपद केवल 'जागेश्वर' तीर्थ के लिए ही प्रसिद्ध होगा ,अपितु यहॉ एक और तीर्थ है जो सम्भवतः विश्व में सबसे ऊॅचाई पर स्थित सूर्य मन्दिरों में श्रेष्ठ और उत्कृष्ट मन्दिर के रुप में है । इसके निर्माण की शिल्पकला भी भव्य और आकर्षक है।

बहुत दिनों से सुना था कि कोर्णाक सूर्य मन्दिर जैसा ही यहॉ भी एक मन्दिर है, बस यात्रा पर निकल पड़ा, वर्तमान कटारमल का सूर्य मन्दिर अल्मोड़ा शहर से कौसानी अल्मोड़ा मार्ग में जाते समय 13 किलोमीटर चलने के बाद कोसी नामक स्थान से जी0बी0 पन्त पर्यावरण संस्थान के मार्ग की ओर लगभग तीन किलोमीटर उपर की ओर जाने के बाद यह देव स्थल आता है । पाइरस पेशिया यानि मेहल या मेंलु या नेपाली मलय फल ,जिसे स्थानीय सेब की मान्यता भी मिली हुई है, इनके जंगलों के बीच यह कटारमल का सूर्य मन्दिर है,इसे अब सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त हो चुका है किन्तु इस मन्दिर की प्रतिष्ठा मान्यता पूर्ववत् स्थापित है । यहॉ हमारी भेंट पुरातत्व संग्रहालय के अधिकारी श्री चतुर सिंह नेगी जी से हुई जिन्होंने बारीकी से बड़ादित्य या सूर्य मन्दिर के विषय में जानकारी दी , साथ ही हिदायत भी दी कि मन्दिर के गर्भगृह परिसर में फोटोग्राफी मना है । सबसे अच्छी बात थी कि उन्हें मन्दिर सुरक्षा कार्यों में पर्याप्त जनसहयोग समाज और स्थानीय जनता से मिल पाने के कारण आज यह मन्दिर समूह सुरक्षित और संरक्षित है ।

इसके बाद मन्दिर परिसर में प्रवेश करते ही आप मन्दिर समूह से अपने को घिरा हुआ पायेंगे ।यहॉ लगभग 45 मन्दिर ऐसे हैं जो बहुत छोटे तो नहीं किन्तु नागर शैली के उत्कृष्ट मन्दिर हैं,जो आज भी अपने ही स्वरुप को बनाये और बचाये रखने में सफल हैं ।

नागर शैली के मन्दिरों में गर्भगृह फिर थोड़ा अन्तराल करके मण्डप होता है, फिर अर्द्धमण्डप होते हैं । पहले ये मन्दिर नगर में ही बनते थे ,इस कारण इन्हें नागर शैली का मन्दिर कहते हैं । भारतवर्ष में यह कला सातवीं सदीं के बाद से ही प्रचलित हैं। पुरातत्व विभाग ने वास्तु लक्षणों के आधार पर इस मन्दिर को तेरहवीं सदीं का माना हैं , हॉलाकि मन्दिर के कुछ देवी–देवताओं की मूर्तियों का निर्माण अलग–अलग समय पर हुआ है, इसके आधार पर स्थानीय मान्यता अधिक पुष्ट है,जिसके आधार पर मन्दिर को और भी प्राचीन माना गया है,और कहा जाता है कि मन्दिर के देवी–देवता शिव,पार्वती,कार्तिकेय,नृसिंह और गणेश आदि देवों की स्थापना का समय अलग हो सकता है ,जिसके कारण समय आगे का भी कोई माने तो उस पर विवाद नहीं हैं। यह मन्दिर कत्यूर राजवंश के राजाओं ने बनवाया जो नौवीं सदी से ग्यारहवीं सदी के बीच का विषय है ,क्योंकि महापण्ड़ित राहुल सांकृत्यायन ने कत्यूर राजवंश का समय ई0 850 से 1060 ईस्वीं का माना है ।मुख्य मन्दिर का छत्र शिखर खण्ड़ित है,और कुछ भग्नावशेष यहॉ आज भी सुरक्षित हैं ।

इस मन्दिर की स्थापना पूर्वाभिमुख की गयी है , जिसके कारण मन्दिर में सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर पड़ती है । यहाॅ प्रस्तर खण्डों से बनी दीवारें और स्तम्भों की शोभा दर्शनीय है । इस स्थान पर पहुंचने के लिए भारतीय रेल सेवा दिल्ली,और लखनऊ से काठगोदाम तक जुड़ी हुई है ,जहां से निजी टैक्सी या राजकीय बस से सीधे अल्मोड़ा पहुंचा जा सकता है । इस स्थल के पर्यटन के लिए मार्च से सितम्बर का महीना उपयुक्त है । वैसे हल्की ठण्ड़क सदैव रहती है ।

वस्तुतः पर्वतों के अंचल में स्थित कटारमल का सूर्य मन्दिर अपनी सांस्कृतिक सात्विकता से साक्षात्कार का एक पुनीत अवसर प्रदान करता है ।

एक शाम मेहल के जंगल से कटारमल के सूर्य मंदिर के विहंगम दृश्य का

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
प्रत्नकीर्तिमपावृणु
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
संरक्षित स्मारक
यह स्मारक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 (1958 के 24) के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुँचाता, नष्ट करता, विलग अथवा परिवर्तित करता, कुरूप करता, खतरे में डालता या दुरूपयोग करते हुये पाया जाता है तो इस अपकृत्य के लिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत दो (2) वर्ष तक का कारावास या ₹ 1,00,000/– (एक लाख) तक जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
पुनः प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 की धारा 20 (क) के अन्तर्गत इस स्मारक की संरक्षित सीमा से आरम्भ होने वाला सभी दिशाओं में 100 मीटर दूरी तक का विस्तारित क्षेत्र किसी भी प्रकार के निर्माण / खनन हेतु प्रतिषिद्ध क्षेत्र होगा तथा धारा 20 (ख) के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से आरम्भ होने वाला सभी दिशाओं में 200 मीटर दूरी तक का विस्तारित क्षेत्र विनियमित क्षेत्र होगा। प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मरम्मत अथवा जीर्णोद्धार तथा विनियमित क्षेत्र में खनन, निर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति अनिवार्य है।
आज्ञा से
महानिदेशक
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण
PROTECTED MONUMENT
THIS MONUMENT HAS BEEN DECLARED TO BE OF NATIONAL IMPORTANCE UNDER THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1958 (24 OF 1958). WHOEVER DESTROYS, REMOVES, INJURES, ALTERS, DEFACES, IMPERILS OR MISUSES THIS MONUMENT, SHALL BE PUNISHABLE WITH IMPRISONMENT WHICH MAY BE EXTENDED TO TWO YEARS OR WITH FINE WHICH MAY BE EXTENDED TO ₹1,00,000/- (ONE LAC) OR BOTH UNDER THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2010.
FURTHER, UNDER THE PROVISION OF SECTION 20 (A) OF THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2010 EVERY AREA OF THIS MONUMENT EXTENDING TO THE DISTANCE OF 100 METERS IN ALL DIRECTIONS SHALL BE THE PROHIBITED AREA FOR THE PURPOSE OF ANY CONSTRUCTION / MINING AND UNDER SECTION 20 (B) THE AREA BEGINNING FROM THE LIMIT OF THE PROHIBITED AREA EXTENDED TO THE DISTANCE OF 200 METERS IN ALL DIRECTIONS SHALL BE THE REGULATED AREA. FOR THE PURPOSE OF REPAIR / RENOVATION IN PROHIBITED AREA AND MINING, CONSTRUCTION, RE-CONSTRUCTION, REPAIR, ADDITION AND ALTERATION IN REGULATED AREA PRIOR APPROVAL OF THE COMPETENT AUTHORITY, IS MANDATORY.
ORDER BY
DIRECTOR GENERAL
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA